वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली.110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001

सा०/No. : 5-1(802)/2022-PD

Dated 05.03.2025

प्रेषक : संयुक्त सचिव (प्रशासन)
From : Joint Secretary (Admn.)

सेवा में : सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान
To : The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

विषय/ Sub : Endorsement of OMs issued by Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Pension and Pensioners' Welfare – reg.

महोदय/Sir / महोदया/Madam,

मुझे भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापनों को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है:

I am directed to forward herewith the following Office Memoranda issued by the Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Pension and Pensioners' Welfare for your kind information, guidance and compliance:

क्रम सं./ Sl. No.	कार्यालय ज्ञापन सं. / Office Memorandum No.	विषय/ Subject
1.	57/03/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8361(1) दिनांक 07.10.2024 57/03/2022-P&PW(B)/8361(1) dated 07.10.2024	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सरकारी कर्मचारी द्वारा अंशदान-संबंधी । Contribution by the Government employee to the National Pension System in respect to Central Government employees covered under NPS.
2.	57/03/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8361(2) दिनांक 07.10.2024 57/03/2022-P&PW(B)/8361(2) dated 07.10.2024	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सरकार द्वारा अंशदान-संबंधी । Contribution by the Government to the National Pension System in respect to Central Government employees covered under NPS.

Contd.....

क्रम सं./ Sl. No.	कार्यालय ज्ञापन सं. / Office Memorandum No.	विषय/ Subject
3.	57/03/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8361(3) दिनांक 07.10.2024 57/03/2022-P&PW(B)/8361(3) dated 07.10.2024	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी के संबंध में सरकारी सेवा से त्यागपत्र देने पर हकदारी-संबंधी । Entitlement on resignation from Government service in respect of Central Government servant covered under the National Pension System -reg.
4.	57/03/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8361(4) दिनांक 07.10.2024 57/03/2022-P&PW(B)/8361(4) dated 07.10.2024	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी के किसी निगम, कंपनी या निकाय में अथवा उसके अधीन आमेलन होने पर हकदारी-संबंधी । Entitlement on absorption in or under a corporation, company or body in respect of Central Government servant covered under the National Pension System -reg.
5.	57/03/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8361(6) दिनांक 11.10.2024 57/03/2022-P&PW(B)/8361(6) dated 11.10.2024	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी के संबंध में, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत संचित पेंशन कॉर्पस पर, अनिवार्य सेवानिवृत्ति या पदच्युति या सरकारी सेवा से हटाए जाने का प्रभाव –संबंधी । Effect of compulsory retirement or dismissal or removal from Government service on the accumulated pension corpus under NPS in respect of Central Government servant covered under the National Pension System –reg.
6.	57/06/2021-पी&पीडबल्यू(बी) दिनांक 14.10.2024	केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 की अधिसूचना से पूर्व, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी की मृत्यु अथवा निःशक्तता या अशक्तता होने के कारण सेवा से कार्यमुक्त किए जाने की दशा में, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 या केंद्रीय सिविल

क्रम सं./ Sl. No.	कार्यालय ज्ञापन सं. / Office Memorandum No.	विषय/ Subject
	57/06/2021-P&PW(B) dated 14.10.2024	सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 के अधीन हितलाभ प्राप्त करने पर कर्मचारी के हिस्से तथा उस पर रिटर्न की वापसी-संबंधी Refund of employee's share with returns thereon on availing benefits under CCS (Pension) Rules, 1972 or CCS (EoP) Rules, 1939 in the event of death of a Central Government employee covered under National Pension System or his discharge on the ground of disablement or invalidation prior to notification of the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021-reg.
7.	57/03/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8361(7) दिनांक 25.10.2024 57/03/2022-P&PW(B)/8361(7) dated 25.10.2024	अर्हक सेवा का आवधिक सत्यापन और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव स्तर पर मॉनिटरिंग। Periodic verification of qualifying service and monitoring at the level of Secretary of the administrative Ministry/ Department.

भवदीय/Yours faithfully,

राहुल 5/3/25

(कुमार राहुल/Kumar Rahul)
उप सचिव (नीति प्रभाग)/Deputy Secretary (PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

1) सी.एस.आई.आर. वेबसाइट/ CSIR Website
2) कार्यालय प्रति/Office copy.

सं.-57/03/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8361(1)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक : 7 अक्तूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सरकारी कर्मचारी द्वारा अंशदान-संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को प्रशासित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। इन नियमों का नियम 6 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में केंद्र सरकार के कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले अंशदानों से संबंधित है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 के नियम 6 के अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली परिभाषित अंशदान के आधार पर कार्य करेगी। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए सरकारी कर्मचारी प्रतिमास अपनी परिलब्धियों का दस प्रतिशत या समय-समय पर यथा अधिसूचित ऐसे अन्य प्रतिशत का अंशदान करेगा। देय अंशदान की रकम को अगले उच्चतर रूपये तक पूर्णांकित किया जाएगा।

3. निलंबन की अवधि के दौरान, कर्मचारी द्वारा उसके विकल्प पर अंशदान किया जा सकेगा। तथापि, यदि जांच के निष्कर्ष पर सरकार द्वारा पारित अंतिम आदेशों में, निलंबन के अधीन व्यतीत की गई अवधि को ड्यूटी के रूप में या छुटटी पर, जिसके लिए छुटटी वेतन संदेय है, माना गया, तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अंशदान का निर्धारण उन परिलब्धियों पर आधारित होगा जिनके लिए निलंबन की अवधि के लिए कर्मचारी हकदार हो जाता है। अंशदान की जमा की जाने वाली राशि और निलंबन की अवधि के दौरान पहले से जमा की गई राशि के अंतर को ब्याज सहित अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में जमा किया जा सकेगा। इस प्रयोजनार्थ ब्याज की दर लोक भविष्य निधि निक्षेपों के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा यथानिर्णीत ब्याज की दर होगी।

4. ड्यूटी से अनुपस्थिति (छुटटी पर या अन्यथा) की अवधि के दौरान, जिसके लिए कोई वेतन या छुटटी वेतन संदेय नहीं है, अभिदाता द्वारा कोई अंशदान नहीं किया जा सकेगा।

5. केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी विभाग या संगठन में प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण की अवधि के दौरान, अभिदाता इन नियमों के अध्यधीन उसी प्रकार होगा, जिस प्रकार वह स्थानांतरित या प्रतिनियुक्ति न होने पर होता और इन नियमों के नियम 5 के अनुसार परिकलित उपलब्धियों के आधार पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए अंशदान करना जारी रखेगा।

जारी -

6. परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अपना अंशदान जारी रखेगा।

7. संयुक्त राष्ट्र सचिवालय या अन्य संयुक्त राष्ट्र निकायों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निमाण और विकास बैंक, या एशियाई विकास बैंक या राष्ट्रमंडल सचिवालय अथवा किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन में प्रतिनियुक्ति सहित भारत में या भारत के बाहर विदेश सेवा के दौरान व्यक्तिगत पेंशन खाते में अंशदानों की कटौती और जमा को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण(पीएफआरडीए) द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार विनियमित किया जा सकेगा।

8. आहरण और संवितरण अधिकारी सरकारी कर्मचारी के वेतन से अंशदान की कटौती करेगा और बिल को प्रत्येक अभिदाता के संबंध में अंशदान कटौती के ब्यौरों सहित यथास्थिति, वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी को प्रत्येक मास के बीसवें दिन पर या उससे पूर्व भेजेगा।

9. (i) यथास्थिति, वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी, आहरण और संवितरण अधिकारी द्वारा वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी को उप-नियम (8) के अधीन प्रत्येक अभिदाता के संबंध में भेजे गए अंशदान के ब्यौरों के आधार पर अभिदाता अंशदान फाइल तैयार और अपलोड करेगा तथा प्रत्येक मास के पच्चीसवें दिन तक अंतरण आईडी सृजित करेगा।

(ii) यथास्थिति, वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी, न्यासी बैंक को प्रत्यायित बैंक के माध्यम से प्रत्येक मास के अंतिम कार्य दिवस तक अंशदान प्रेषित करेगा। तथापि, मार्च माह के लिए, अंशदान वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी द्वारा न्यासी बैंक को प्रत्यायित बैंक के माध्यम से अप्रैल माह के प्रथम कार्य दिवस को प्रेषित किया जा सकेगा।

(iii) अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में विहित समयावधि के पश्चात अंशदान जमा करने में विलंब होने की दशा में,जिसमें अभिदाता की गलती न हो, इन नियमों के नियम 8 के अनुसार यथाअवधारित, अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में विलंबित अवधि के लिए ब्याज सहित राशि जमा की जा सकेगी।

10. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली मामलों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

चक्रवर्ती

(एस.चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)

No. - 57/03/2022-P&PW(B)/8361(1)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 07th October, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Contribution by the Government employee to the National Pension System in respect to Central Government employees covered under NPS.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021 to govern service related matters of Central Government civil employees covered under National Pension System. Rule 6 of these rules deals with contributions by the Central Government employee into the National Pension System.

2. In accordance with rule 6 of the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021, the National Pension System shall work on defined contribution basis. A Government employee shall make a contribution of ten per cent or such other percentage as may be notified from time to time, of his emoluments to the National Pension System every month. The amount of contribution payable shall be rounded off to the next higher rupee.

3. During the period of suspension, contribution may be made by the employee at his option. However, if in the final orders passed by the Government on conclusion of the inquiry, the period spent under suspension is treated as duty or leave for which leave salary is payable, contributions to the National Pension System shall be determined based on the emoluments which the employee becomes entitled to for the period of suspension. The difference of the amount of contribution to be deposited and the amount of contribution already deposited during the period of suspension, shall be credited to the Individual Pension Account of the Subscriber along with interest. The rate of interest for this purpose would be the rate of interest as decided by the Government from time to time for the Public Provident Fund deposits.

4. No contribution shall be made by the Subscriber during the period of absence from duty (whether on leave or otherwise) for which no pay or leave salary is payable.

5. During the period of transfer on deputation to a Department or organisation under the Central Government or the State Government, the Subscriber shall remain subject to these rules in the same manner, as if he was not so transferred or sent on deputation and will continue to contribute towards National Pension System based on emoluments worked out in accordance with rule 5 of these rules.

Contd.

6. The Subscriber shall contribute toward National Pension System during the period spent under probation.

7. Deduction and crediting of contributions to the Individual Pension Account during foreign service in India or outside India, including deputation to United Nations' Secretariat or other United Nations' Bodies, the International Monetary Fund, the International Bank of Reconstruction and Development, or the Asian Development Bank or the Commonwealth Secretariat or any other International organisation, shall be regulated in accordance with the instructions issued by the Department of Personnel and Training from time to time and the procedure laid down by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA).

8. The Drawing and Disbursing Officer shall deduct the contribution from the salary of the Government servant and send the bill to the Pay and Accounts Officer or Cheque Drawing and Disbursing Officer, as the case may be, along with details of contributions deducted in respect of each Subscriber on or before Twentieth day of each month.

9. (i) The Pay and Accounts Officer or the Cheque Drawing and Disbursing Officer, as the case may be, based on the details of contributions in respect of each Subscriber sent by the Drawing and Disbursing Officer to Pay and Accounts Officer or Cheque Drawing and Disbursing Officer under sub-rule (8), shall prepare and upload a Subscription Contribution File and generate a Transaction ID by Twenty- fifth day of each month.

(ii) The Pay and Accounts Officer or the Cheque Drawing and Disbursing Officer, as the case may be, shall remit the contribution to the Trustee Bank through the Accredited Bank by the last working day of each month. However, the contribution for the month of March shall be remitted by the Pay and Accounts Officer or the Cheque Drawing and Disbursing Officer to the Trustee Bank through the Accredited Bank on the first working day of the month of April.

(iii) In case of delay in crediting of contribution to the Individual Pension Account of the Subscriber beyond the prescribed timeline due to factors not attributable to the Subscriber, the amount shall be credited to the Individual Pension Account of the Subscriber along with interest for the delayed period, as determined in accordance with rule 8 of these rules.

10. All Ministries/Departments are requested that the above provisions may be brought to the notice of the personnel dealing with the NPS matters of employees in the Ministry /Department and attached /subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Govt. of India

To
All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list).

सं.-57/03/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8361(2)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक : 7 अक्तूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सरकार द्वारा अंशदान-संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को प्रशासित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। इन नियमों का नियम 7 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले अंशदानों से संबंधित है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 के नियम 7 के अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली परिभाषित अंशदान के आधार पर कार्य करेगी। केंद्र सरकार प्रतिमास केंद्र सरकार के कर्मचारी के व्यक्तिगत पेंशन खाते में सरकारी कर्मचारी की परिलब्धियों का चौदह प्रतिशत या समय-समय पर अधिसूचित ऐसे अन्य प्रतिशत का अंशदान करेगी। देय अंशदान की रकम को अगले उच्चतर रूपये तक पूर्णांकित किया जाएगा।

3. सरकार द्वारा उस अवधि के लिए कोई अंशदान नहीं किया जाएगा जिसके दौरान सरकारी कर्मचारी को इन नियमों के अनुसार अंशदान करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, ऐसे मामलों में जहां अभिदाता को चिकित्सीय आधार पर या नागरिक उपद्रव के कारण कार्यग्रहण करने या पुनःकार्यग्रहण करने में असमर्थता के कारण; या अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में उपयोगी समझे जाने वाले उच्च अध्ययन को करने के लिए छुट्टी दी जाती है, और ऐसी छुट्टी के दौरान, छुट्टी वेतन देय नहीं है या ऐसी दर पर देय है जो पूर्ण वेतन से कम है, तो सरकार नोशनल परिलब्धि जिसमें इन नियमों के नियम 5 में निर्दिष्ट छुटटी वेतन और महंगाई भत्ता, गैर अभ्यास भत्ता सम्मिलित है, का चौदह प्रतिशत या समय-समय पर अधिसूचित ऐसे अन्य प्रतिशत की राशि का अंशदान करेगी।

4. सरकारी कर्मचारी के निलंबन के अधीन होने की दशा में, सरकार द्वारा ऐसे निलंबन की अवधि के दौरान कर्मचारी को संदत्त निर्वहन भत्ते को ध्यान में रखते हुए अवधारित की गई परिलब्धियों के आधार पर अंशदान किया जा सकेगा। यदि अभिदाता ने निलंबन की कथित अवधि के दौरान अपने अंशदान का भुगतान नहीं करने का विकल्प चुना था तो निलंबन की अवधि के दौरान सरकार द्वारा कोई अंशदान नहीं किया जाएगा।

जाटी.

5. तथापि, जहां जांच के निष्कर्ष पर सरकार द्वारा पारित अंतिम आदेशों में निलंबन के अधीन व्यतीत की गई अवधि को ड्यूटी के रूप में या छुटटी माना जाता है, जिसके लिए छुटटी वेतन संदेय है, तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए सरकार द्वारा अंशदान का निर्धारण उन परिलब्धियों के आधार पर किया जाएगा जिसके लिए अभिदाता निलंबन की अवधि के लिए हकदार हो जाता है। सरकार द्वारा जमा की जाने वाले अंशदान की राशि और निलंबन की अवधि के दौरान पहले से जमा की गई अंशदान की राशि के अंतर को ब्याज सहित अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में जमा किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ ब्याज की दर सामान्य भविष्य निधि निक्षेपों के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा यथानिर्णित ब्याज की दर होगी।

6. संयुक्त राष्ट्र सचिवालय या अन्य संयुक्त राष्ट्र निकाय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निमाण और विकास बैंक, या एशियाई विकास बैंक या राष्ट्रमंडल सचिवालय अथवा किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन में प्रतिनियुक्ति सहित भारत में या भारत के बाहर विदेश सेवा के दौरान व्यक्तिगत पेंशन खाते में सरकार द्वारा दिए जाने वाले अंशदान को, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों और प्राधिकरण द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

7. अभिदाता द्वारा अंशदान की राशि के प्रेषण के मामले में समयसीमा के लिए यथालागू उपबंध सरकार द्वारा अंशदान के प्रेषण के मामले में भी लागू होंगे। अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में विहित समयावधि के पश्चात अंशदान जमा करने में विलंब होने की दशा में, जिसमें अभिदाता की गलती न हो, इन नियमों के नियम 8 के अनुसार यथाअवधारित, विलंबित अवधि के लिए ब्याज सहित राशि, अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में जमा की जा सकेगी।

8. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली मामलों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(एस.चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)

No. - 57/03/2022-P&PW(B)/8361(2)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 07th October, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Contribution by the Government to the National Pension System in respect to Central Government employees covered under NPS.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021 to govern service related matters of Central Government civil employees covered under National Pension System. Rule 7 of these rules deals with contributions by the Central Government into the National Pension System.

2. In accordance with rule 7 of the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021, the National Pension System shall work on defined contribution basis. The Central Government shall make contribution of fourteen per cent or such other percentage as may be notified from time to time, of the emoluments of a Government servant to the Individual Pension Account of the Central Government employee every month. The amount of contribution payable shall be rounded off to the next higher rupee.

3. No contribution shall be made by the Government for the period during which the Government employee is not required to make contribution in accordance with these rules. However, in cases where the leave is granted to the Subscriber on medical ground or due to his inability to join or rejoin duty on account of civil commotion; or for pursuing higher studies considered useful in discharge of his official duty, and during such leave, leave salary is not payable or is payable at a rate which is less than full pay, the Government shall make contribution equal to fourteen per cent or such other percentage as may be notified from time to time, of the notional emoluments comprising the amount representing pay and dearness allowance in the leave salary, non-practicing allowance referred to in rule 5 of these rules.

4. In the case of a Government employee under suspension, contribution shall be made by the Government on the basis of the emoluments determined by taking into account the subsistence allowance paid to the employee during the period of such suspension. No contribution shall be made by the Government during the period of suspension where the Subscriber had opted not to pay his contribution during the said period of suspension.

Contd-

5. However, if in the final orders passed by the Government on conclusion of the inquiry, the period spent under suspension is treated as duty or leave for which leave salary is payable, contributions by the Government to the National Pension System shall be determined based on the emoluments which the Subscriber becomes entitled to for the period of suspension. The difference of the amount of contribution to be deposited by the Government and the amount of contribution already deposited during the period of suspension, shall be credited to the Individual Pension Account of the Subscriber along with interest. The rate of interest for this purpose would be the rate of interest as decided by the Government from time to time for the Public Provident Fund deposits.

6. Contribution by the Government to the Individual Pension Account during foreign service in India or outside India, including deputation to United Nations' Secretariat or other United Nations' Bodies, the International Monetary Fund, the International Bank of Reconstruction and Development, or the Asian Development Bank or the Commonwealth Secretariat or any other International organisation, shall be regulated in accordance with the orders issued by Department of Personnel and Training from time to time and the procedure laid down by the Authority.

7. The provisions regarding time line as applicable in the case of remittance of contribution by the Subscriber would also be applicable for remittance of contribution by the Government. In case there is a delay in crediting of contribution to the Individual Pension Account of the Subscriber beyond the prescribed timeline due to factors not attributable to the Subscriber, the amount shall be credited to the Individual Pension Account of the Subscriber along with interest for the delayed period, as determined in accordance with rule 8 of these rules.

8. All Ministries/Departments are requested that the above provisions may be brought to the notice of the personnel dealing with the NPS matters of employees in the Ministry /Department and attached /subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Govt. of India

To

All Ministries/Departments/Organisations,

(As per standard list)

सं.-57/03/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8361(3)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक : 7 अक्तूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी के संबंध में सरकारी सेवा से त्यागपत्र देने पर हकदारी-संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को प्रशासित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 का नियम 14, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी के सरकारी सेवा से त्यागपत्र देने पर हकदारी से संबंधित है। इस नियम के अनुसार, सरकारी सेवा या पद से त्यागपत्र देने पर, जब तक कि इसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जनहित में वापस लेने की अनुमति न हो, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अधिवर्षिता पूर्व अभिदाता की निकासी के मामले में यथास्वीकार्य, प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार अभिदाता की संचित पेंशन कॉर्पस में से एकमुश्त और वार्षिकी का भुगतान किया जाएगा।

3. एकमुश्त निकासी और वार्षिकी का ऐसा संदाय, उस तारीख जिससे त्यागपत्र प्रभावी होता है और अभिदाता अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाता है, से नब्बे दिनों की अवधि समाप्त होने से पूर्व नहीं किया जा सकेगा।

4. तथापि, यदि अभिदाता की मृत्यु उस तारीख से नब्बे दिनों की अवधि समाप्त होने से पूर्व हो जाती है, जिस दिन से त्यागपत्र प्रभावी हो जाता है, तो भुगतान उस व्यक्ति को किया जाएगा जो पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण(पीएफआरडीए) द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार अधिवर्षिता पूर्व राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाता की निकासी के मामले में यथास्वीकार्य, ऐसा भुगतान प्राप्त करने के योग्य हो।

5. सरकारी कर्मचारी सेवा से त्यागपत्र देने पर भी अपने विकल्प पर, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण(पीएफआरडीए) द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार गैर-सरकारी अभिदाता के रूप

Contd-

में, उसी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदाय करना जारी रख सकेगा।

6. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की बाबत सरकारी सेवा से त्यागपत्र देने पर हकदारी से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का, सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली मामलों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(एस.चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)

No. - 57/03/2022-P&PW(B)/8361(3)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 7th October, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Entitlement on resignation from Government service in respect of Central Government servant covered under the National Pension System -reg.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021 to govern the service related matters of Central Government civil employees covered under the National Pension System.

2. Rule 14 of the Central Civil Services (Implementation of NPS) Rules, 2021 provides for entitlement on resignation from Government service of a Central Government servant covered under National Pension System. The rule provides that on resignation from a Government service or a post, unless it is allowed to be withdrawn in the public interest by the appointing authority, the lump sum and the annuity out of the Subscriber's accumulated pension corpus shall be paid to him in accordance with the regulations notified by the Authority as admissible in the case of exit of a Subscriber from the National Pension System before superannuation.

3. Such payment of lump sum withdrawal and annuity shall not be made before the expiry of a period of ninety days from the date on which the resignation becomes effective and the Subscriber is relieved of his duty.

4. However, if the Subscriber dies before the expiry of a period of ninety days from the date on which the resignation becomes effective, the payment shall be made to the person eligible to receive such payment immediately in accordance with the regulations notified by the Pension Fund Development and Regulatory Authority (PFRDA) as admissible in the case of exit of a Subscriber from the National Pension System before superannuation.

5. The Government servant on his resignation from service, at his option, may continue to subscribe to the National Pension System with the same Permanent Retirement Account Number, as a non-Government subscriber in accordance with the regulations notified by PFRDA.

6. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding entitlement on resignation from Government service of a Central Government servant covered under National Pension System may be brought to the notice of the personnel

Contd -

dealing with the NPS matters of employees in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)

सं.-57/03/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8361(4)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक : 7 अक्तूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी के किसी निगम, कंपनी या निकाय में अथवा उसके अधीन आमेलन होने पर हकदारी-संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को प्रशासित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 का नियम 15 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी के किसी निगम, कंपनी या निकाय में अथवा उसके अधीन आमेलन होने पर हकदारी से संबंधित है। नियम 15 के अनुसार, यदि किसी सरकारी कर्मचारी को केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के पूर्णतः या आंशिक स्वामित्व या नियंत्रित निगम या कंपनी अथवा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित किसी निकाय(स्वायत्त या सांविधिक) में या उसके अधीन किसी सेवा या पद में आमेलित होने के लिए अनुज्ञा प्रदान की गई है, तो उसे ऐसे आमेलन की तारीख से सेवा से सेवानिवृत्त माना जाएगा और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अधिवर्षिता पर अभिदाता की निकासी के मामले में यथास्वीकार्य हितलाभ प्राप्त करने का पात्र होगा।

3. अभिदाता नए संगठन में उसी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदाय करना जारी रखेगा, यदि नए संगठन में समान प्रणाली विद्यमान है, और उस स्थिति में ऐसे आमेलन के समय उसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन कोई हितलाभ प्राप्त नहीं होगा किंतु नए निकाय या संगठन आदि, जिसमें उसे आमेलित किया गया है, से निकासी के पश्चात हितलाभ प्राप्त होंगे।

4. तथापि, ऐसे स्वायत्त या सांविधिक निकाय अथवा पब्लिक सेक्टर के उपक्रम के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर नहीं किए गए हैं, तो ऐसा अभिदाता, अपने विकल्प पर, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण(पीएफआरडीए) द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार, गैर-सरकारी अभिदाता के रूप में उसी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदाय करना जारी रख सकेगा।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी के किसी निगम, कंपनी या निकाय में अथवा उसके अधीन आमेलन होने पर हकदारी से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का, सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली मामलों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(एस.चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)

No. - 57/03/2022-P&PW(B)/8361(4)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 7th October, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Entitlement on absorption in or under a corporation, company or body in respect of Central Government servant covered under the National Pension System -reg.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021 to govern the service related matters of Central Government civil employees covered under the National Pension System.

2. Rule 15 of the Central Civil Services (Implementation of NPS) Rules, 2021 provides for entitlement on absorption in or under a corporation, company or body (autonomous or statutory) in respect of a Central Government servant covered under the National Pension System. The rule provides that a Government servant who has been permitted to be absorbed in a service or post in or under a Corporation or Company wholly or substantially owned or controlled by the Central Government or a State Government or in or under a Body (autonomous or statutory) controlled or financed by the Central Government or a State Government, shall be deemed to have retired from service from the date of such absorption and shall be eligible to receive benefits under the National Pension System in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015 as admissible in the case of exit of Subscriber on superannuation.

3. The Subscriber shall continue to subscribe to the National Pension System with the same Permanent Retirement Account Number in the new organisation if the same system exists in the new organisation and in that case he shall not receive any benefit under the National Pension System at the time of such absorption but shall receive benefits after exit from the new body or organisation, etc. where Subscriber has been absorbed.

4. However, in case, the employees of such autonomous or statutory body or public sector undertaking are not covered by the National Pension System, such subscriber may, at his option, continue to subscribe to the National Pension System with the same Permanent Retirement Account Number as a non-Government subscriber, in accordance with the regulations notified by Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA).

Contd-

5. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding entitlement on absorption in or under a corporation, company or body in respect of a Central Government servant covered under the National Pension System may be brought to the notice of the personnel dealing with the NPS matters of employees in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list).

सं.-57/03/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8361(6)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक : 11 अक्तूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी के संबंध में, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत संचित पेंशन कॉर्पस पर, अनिवार्य सेवानिवृत्ति या पदच्युति या सरकारी सेवा से हटाए जाने का प्रभाव-संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को प्रशासित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 का नियम 18, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी के संबंध में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत संचित पेंशन कॉर्पस पर, उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति या पदच्युति या सरकारी सेवा से हटाए जाने के प्रभाव से संबंधित है।

3. इस नियम के अनुसार यदि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किया गया, कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी, सरकारी सेवा से शास्ति स्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत्त होता है या पदच्युत या हटा दिया जाता है, तो पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसरण में, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाता की अधिवर्षिता पूर्व निकासी के मामले में यथास्वीकार्य अभिदाता की संचित पेंशन कॉर्पस से एकमुश्त और वार्षिकी राशि संदेय होगी।

4. तथापि, प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारी, अपने विकल्प पर, एक गैर-सरकारी अभिदाता के रूप में उसी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदाय करना जारी रख सकेगा।

5. उपरोक्त उपबंध, तथापि, इन नियमों द्वारा कवर नहीं किए गए उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के संबंध में, ऐसे मामलों में की गई किसी भी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा और वे हितलाभ, ऐसे नियमों के अनुसरण में विनियमित किए जा सकेंगे, जो ऐसे हितलाभों पर लागू होते हैं।

जारी-

6. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के संबंध में, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत संचित पेंशन कॉर्पस पर, सरकारी कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति या पदच्युति या सरकारी सेवा से हटाए जाने के प्रभाव से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली मामलों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(एस.चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)

No. - 57/03/2022-P&PW(B)/8361(6)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 11th October, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Effect of compulsory retirement or dismissal or removal from Government service on the accumulated pension corpus under NPS in respect of Central Government servant covered under the National Pension System -reg.

The undersigned is directed to say that the Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021 to govern the service related matters of Central Government civil employees covered under the National Pension System.

2. Rule 18 of the Central Civil Services (Implementation of NPS) Rules, 2021 provides for effect of compulsory retirement or dismissal or removal from Government service on the accumulated pension corpus under NPS in respect of Central Government Civil employees covered under NPS.

3. The rule provides that where a Central Government employee covered under NPS is compulsorily retired from service as a penalty or is dismissed or removed from Government service, the lump sum and the annuity out of his accumulated pension corpus shall be paid to him in accordance with the regulations notified by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) payable to the Subscriber as admissible in the case of exit of a Subscriber from the National Pension System before superannuation.

4. However, the Government employee, at his option, may continue to subscribe to the National Pension System with the same Permanent Retirement Account Number as a non-Government subscriber, in accordance with the regulations notified by the Authority.

5. The above provisions shall, however, be without prejudice to any action being taken in such cases in respect of gratuity and other retirement benefits not covered by these rules and those benefits shall be regulated in accordance with the rules as applicable to such benefits.

6. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding effect of compulsory retirement or dismissal or removal from Government service on the accumulated pension corpus under NPS in respect of Central Government Civil employees covered under the NPS may be brought to the notice of the personnel dealing with the NPS matters of employees in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)

सं. 57/06/2021-पी&पीडबल्यू(बी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्केट

नई दिल्ली, दिनांक : 14 अक्टूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 की अधिसूचना से पूर्व, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी की मृत्यु अथवा नि:शक्तता या अशक्तता होने के कारण सेवा से कार्यमुक्त किए जाने की दशा में, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 के अधीन हितलाभ प्राप्त करने पर कर्मचारी के हिस्से तथा उस पर रिटर्न की वापसी-संबंधी

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 22.12.2003 की अधिसूचना सं.5/7/2003-ईसीबी&पीआर द्वारा नई पेंशन योजना (जिसे अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कहा जाता है)(एनपीएस) लागू की गई थी। 1 जनवरी 2004 से, सशस्त्र बलों को छोड़कर, केंद्र सरकार की सेवा में भर्ती होने वाले सभी नए कर्मचारियों के लिए एनपीएस को अनिवार्य किया गया। इसके साथ ही, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 और केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 में संशोधन किया गया ताकि इन नियमों को दिनांक 31.12.2003 को या उससे पूर्व नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू किया जा सके।

2. तथापि, दिनांक 01.01.2004 को या उसके पश्चात नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के समक्ष पेश आ रही कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, इस विभाग के दिनांक 05.05.2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/41/06/पीएंडपीडब्लू(ए) द्वारा, यथास्थिति, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमों के हितलाभ, एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने या अशक्तता/नि:शक्तता होने के कारण सेवा से कार्यमुक्त किए जाने की दशा में, अनंतिम आधार पर विस्तारित किए गए थे। चूंकि ये हितलाभ अनंतिम प्रकृति के थे, भावी विरचित नियमों के अनुसार संदत्त अंतिम भुगतानों के सापेक्ष समायोजन के अध्यधीन थे।

3. तत्पश्चात, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण(पीएफआरडीए) ने दिनांक 11.05.2015 को पीएफआरडीए अधिनियम के अधीन पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 अधिसूचित किया, जिसमें यह उपबंधित है कि यदि अभिदाता या अभिदाता की मृत्यु पर उसके कुटुंब के सदस्य, सरकार द्वारा यथा उपबंधित, मृत्यु या नि:शक्तता संबंधी अतिरिक्त अनुतोष के विकल्प का प्रयोग करते हैं तो सरकार को अभिदाता का संपूर्ण संचित धन अपने पास समायोजित करने या अंतरण किए जाने का अधिकार होगा। अत:, सरकारी कर्मचारी या उसके कुटुंब के सदस्यों द्वारा, यथास्थिति, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 के अधीन हितलाभ प्राप्त करने पर, एनपीएस के अधीन संपूर्ण संचित पेंशन कॉर्पस सरकारी खाते में अंतरित कर दिया गया।

जारी -

4. तत्पश्चात, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बाबत सेवा संबंधी मामलों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया। इन नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंधित है कि अभिदाता की मृत्यु हो जाने अथवा अशक्तता या नि:शक्तता के कारण सेवा से कार्यमुक्त किए जाने पर, केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 या केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के अधीन कुटुंब के सदस्यों/सरकारी कर्मचारी को हितलाभ संदेय हैं, तो अभिदाता के संचित पेंशन कॉर्पस में सरकार का अंशदान और उस पर मिलने वाला रिटर्न सरकारी खाते में अंतरित कर दिया जाएगा। शेष संचित पेंशन राशि का भुगतान, यथास्थिति, सरकारी कर्मचारी या उस व्यक्ति/व्यक्तियों को एकमुश्त किया जाएगा, जिनके पक्ष में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अधीन नामनिर्देशन किया गया है।

5. केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 राजपत्र में अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 31.03.2021 से लागू होगी।

6. व्यय विभाग और लेखा महानियंत्रक के साथ परामर्श करके मामले की जांच की गई है। यह निर्णय लिया गया है कि एनपीएस कर्मचारियों से संबंधित मामलों में, जहां सरकारी कर्मचारी या उसके कुटुंब के सदस्यों को पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 05.05.2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/41/06-पीएंडपीडब्लू(ए) के अनुसरण में एनपीएस के स्थान पर केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 के अधीन हितलाभ दिया गया था और एनपीएस के अधीन संपूर्ण संचित पेंशन तथा कॉर्पस को सरकारी खाते में अंतरित कर दिया गया था, अभिदाता के संचित पेंशन कॉर्पस में से केवल सरकारी अंशदान तथा उस पर रिटर्न को सरकारी खाते में रखा जाएगा और शेष राशि, यथास्थिति, सरकारी कर्मचारी या नामनिर्देशित व्यक्ति(यों) या कानूनी उत्तराधिकारी(यों) को वापस कर दी जाएगी, जैसाकि केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 में उपबंधित है।

7. ये आदेश दिनांक 01.01.2004 से प्रभावी होंगे। कर्मचारी का अंशदान, उस पर रिटर्न सहित, मृत्यु होने/बोर्डिंग आउट होने की तारीख से लेकर उस राशि के भुगतान की तारीख तक की अवधि के लिए, समय-समय पर लोक भविष्य निधि जमा पर लागू दरों और रीति से संगणित ब्याज सहित यथास्थिति, नामनिर्देशिती(यों)/कानूनी उत्तराधिकारी(यों)/सरकारी कर्मचारी को लौटाया जाएगा।

8. एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों से संबंधित मामलों में, जहां सरकारी कर्मचारी या उसके कुटुंब के सदस्यों को पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 05.05.2009 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 के अधीन हितलाभ प्रदान किए गए और उन्हें सरकारी कर्मचारी के एनपीएस के अंतर्गत संचित पेंशन कॉर्पस से भी हितलाभ प्रदान किए गए, पेंशन नियमों के अंतर्गत पेंशन का हितलाभ प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारी या उसके कुटुंब के सदस्य को (ऐसे मामलों में जहां एनपीएस संचय सरकारी खाते में जमा नहीं किए गए थे या पेंशन नियमों के अंतर्गत हितलाभ प्राप्त करने के लिए सरकारी खाते में पहले से वापस नहीं किए गए थे) एनपीएस से निकासी के समय संचित पेंशन कॉर्पस में से सरकारी अंशदान, उस पर रिटर्न सहित और ब्याज (सरकारी खाते में जमा करने की तारीख तक) के साथ वापस करना होगा, जिसकी संगणना उसी

जारी

दर और रीति से की जाएगी, जैसाकि पेंशन नियमों के अंतर्गत हितलाभ प्राप्त करना जारी रखने के लिए समय-समय पर लागू सामान्य भविष्य निधि के मामले में लागू है।

9. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय द्वारा उनके दिनांक 23.03.2023 के आईडी नोट संख्या 648/91- जीए/2014 और लेखा महानियंत्रक द्वारा उनके दिनांक 31.03.2023 के यूओ नोट संख्या टीए-3-6/3/2020-टीए- III/सीएस-4308/138 द्वारा, कर्मचारियों के हिस्से और उस पर रिटर्न, अद्यतित ब्याज सहित वापस करने के लिए, यथाप्रदत्त लेखा प्रक्रिया अनुलग्नक-क में संलग्न है।

10. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इन आदेशों की विषय-वस्तु को लेखा नियंत्रक/वेतन एवं लेखा अधिकारियों तथा अपने अधीन संबद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों के संज्ञान में लाएं।

11. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 17.01.2022 के आईडी नोट संख्या 1(15)/ईवी/2021 के परामर्श से तथा लेखा महानियंत्रक के दिनांक 22.04.2022 के आईडी नोट संख्या टीए-3-6/3/2020-टीए-III/सीएस-4308 के परामर्श से जारी किया जाता है।

12. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत कार्मिकों के संबंध में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अधीन यथाअधिदेशित, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करने के पश्चात जारी किए जाते हैं।

(एस. चक्रबर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली।
4. रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।
5. वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली।
6. सीजीए, व्यय विभाग, आईएनए, नई दिल्ली।
7. एनआईसी को इस विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

अनुलग्नक - क

दिनांक 03.10.2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 57/06/2021-पी&पीडबल्यू(बी) के पैरा (9) में संदर्भित लेखा प्रक्रिया

लेखा प्रक्रिया केवल ऐसे नामनिर्देशित व्यक्ति/सरकारी कर्मचारियों को, कर्मचारी के हिस्से की, उस पर रिटर्न सहित वापसी करने और अद्यतन ब्याज का संदाय करने के लिए की जाएगी, जिन्होंने पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 05.05.2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/41/06-पी&पीडब्लू (ए) के संदर्भ में, केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 की अधिसूचना से पूर्व राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली(एनपीएस) के अंतर्गत कवर किए गए सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने अथवा अशक्तता या नि:शक्तता होने पर सेवा से कार्यमुक्त किए जाने की दशा में, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 के अधीन हितलाभ प्राप्त किया था। यह प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :

1. ऐसे कर्मचारियों की बाबत जिनकी अनंतिम पेंशन या कुटुंब पेंशन का संदाय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 05.05.2009 के कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में पहले से ही किया जा रहा था, पीएफआरडीए से प्राप्त कर्मचारी अंशदान और उस पर रिटर्न सहित नियोक्ता अंशदान की पूरी रकम "एमएच-0071-अंशदान और वसूली पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ। 01-सिविल, 101-अभिदान और अंशदान, 01-एनपीएस अभिदाताओं की बाबत संचित पेंशन धन" में जमा की गई थी।

2. कार्यालय अध्यक्ष/आहरण एवं संवितरण अधिकारी, कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड, सरकारी खातों(अर्थात एमएच 0071-अंशदान और वसूली एवं अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ, 01-सिविल, 101-अभिदान और अंशदान, 01-एनपीएस अभिदाताओं की बाबत संचित पेंशन धन) में जमा एनपीएस संचित विवरण दर्शाने वाले चालान की प्रति और कर्मचारियों के अन्य विवरण जैसे प्रान(PRAN), अंशदान की अवधि, कर्मचारी की अशक्तता या मृत्यु की तारीख आदि की पुष्टि करते हुए राशि(कर्मचारी अंशदान और उस पर रिटर्न) का द्विभाजन करेंगे।

3. आहरण एवं संवितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा सुझाए गए एनपीएस संचयों का विवरण एनएसडीएल द्वारा प्रदत्त विवरणों से मेल खाता है या पीएफआरडीए के गठन से पूर्व सरकारी रिकॉर्डों से मेल खाता है। इस राशि का मिलान वेतन एवं लेखा अधिकारी के पास उपलब्ध आंकड़ों से भी किया जाए।

4. वेतन एवं लेखा अधिकारी एक अंतरण प्रविष्टि तैयार करेगा और कर्मचारी अंशदान की द्विभाजन राशि और कर्मचारी अंशदान पर रिटर्न को मूल रूप से जमा किए गए शीर्ष (अर्थात एमएच 0071-अंशदान और वसूली एवं अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ) से "एमएच 8342- अन्य जमा, 117- सरकार के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना" में अंतरित करेगा।

5. संचित निधि के भुगतान की प्रस्तावित तारीख तक द्विभाजन राशि (अर्थात कर्मचारी का अंशदान और कर्मचारी के अंशदान पर रिटर्न) पर ब्याज की संगणना संबंधित कर्मचारियों के आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा की जाएगी।

6. ब्याज की संगणना को संबंधित वेतन एवं लेखा अधिकारी द्वारा एक प्राधिकारी के रूप में सत्यापित किया जाएगा।

7. वेतन एवं लेखा अधिकारी शीर्ष "एमएच-2049-ब्याज का भुगतान, 60-अन्य दायित्वों पर ब्याज, 101-जमा पर ब्याज, 29-परिभाषित अंशदान पेंशन योजना पर ब्याज। 01-टियर-1 के अंतर्गत अंशदान पर ब्याज" को डेबिट करते हुए और "एमएच 8342-अन्य जमा, 117- सरकार के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना, 01-टियर-1 के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी का अंशदान" को क्रेडिट करते हुए ब्याज राशि की अपेक्षित लेखा प्रविष्टि करेगा।

8. ब्याज की संगणना करने और वेतन एवं लेखा अधिकारी से सत्यापित होने के पश्चात, आहरण एवं संवितरण अधिकारी कुल राशि का बिल तैयार करेगा और वेतन एवं लेखा अधिकारी को भेजेगा जिसमें कर्मचारियों के विवरण जैसे कि प्रान(PRAN) और द्विभाजन राशि, ब्याज राशि आदि का स्पष्ट उल्लेख होगा।

9. वेतन एवं लेखा अधिकारी अपने पास उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर बिल राशि की पुष्टि करेगा।

10. वेतन एवं लेखा अधिकारी "8342-अन्य जमा, 117-सरकार के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना, 01-टियर-1 के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी का अंशदान" शीर्ष को डेबिट करते हुए बिल का भुगतान करेगा।

11. वेतन एवं लेखा अधिकारी संबंधित एनपीएस कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड में अपेक्षित प्रविष्टि भी करेगा।

- - -

No. 57/06/2021-P&PW (B)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension
Department of Pension and Pensioners' Welfare

Lok Nayak Bhawan, Khan Market
New Delhi, Dated 14th October, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Refund of employee's share with returns thereon on availing benefits under CCS (Pension) Rules, 1972 or CCS (EoP) Rules, 1939 in the event of death of a Central Government employee covered under National Pension System or his discharge on the ground of disablement or invalidation prior to notification of the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021 - reg.

The undersigned is directed to say that the New Pension Scheme (now called as National Pension System) (NPS) was introduced vide Ministry of Finance, Department of Economic Affairs' notification No. 5/7/2003-ECB & PR dated 22.12.2003. It was provided that NPS would be mandatory for all new recruits to the Central Government service from 1st of January 2004 except the Armed Forces. Simultaneously, the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 and the CCS (Extraordinary Pension) Rules, 1939 were amended to provide that those rules would be applicable to the Government servants appointed on or before 31.12.2003.

2. However, considering the hardship being faced by the Government servants appointed on or after 01.01.2004, benefits of CCS (Pension) Rules, 1972 or CCS (Extraordinary Pension) Rules, 1939 as the case may be, were extended on provisional basis, in the event of death of Government servant covered by NPS or his discharge from service on invalidation / disablement, vide this Department's OM No. 38/41/06/P&PW(A) dated 05.05.2009. These benefits being provisional in nature, were subject to adjustment against the final payments to be made in accordance with the Rules to be framed.

3. Thereafter, PFRDA notified PFRDA (Exits and Withdrawals under NPS) Regulation, 2015 under PFRDA Act on 11.05.2015 which stipulates that if the subscriber or the family members of the deceased subscriber, upon his death, avails the option of additional relief on death or disability provided by the Government, the Government shall have right to adjust or seek transfer of the entire accumulated pension wealth of subscriber to itself. Therefore, on availing benefits under CCS (Pension) Rules, 1972 or CCS (Extraordinary Pension) Rules, 1939, as the case may be, by the Government employee or the family members, the entire accumulated pension corpus under NPS was transferred into the Government account.

Contd.

4. Subsequently, Department of Pension and Pensioners' Welfare notified Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021 to regulate service related matters in respect to Central Government employees covered under National Pension System. These rules inter-alia provides that if on death of the Subscriber or his discharge from service on invalidation or disablement, benefits are payable to the family members / Government servant under the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, 1939 or the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, the Government contribution and returns thereon in the accumulated pension corpus of the Subscriber shall be transferred to Government account. The remaining accumulated pension corpus shall be paid in lump sum to the Government servant or the person(s) in whose favour a nomination has been made under the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015, as the case may be.

5. The CCS (Implementation of NPS) Rules, 2021 are applicable from the date of their notification in the official Gazette i.e. 31.03.2021.

6. The matter has been examined in consultation with Department of Expenditure and Controller General of Accounts. It has been decided that in the cases relating to NPS employees, where Government servant or the family members had been granted benefits under CCS (Pension) Rules, 1972 or CCS (EOP) Rules, 1939 in place of NPS in accordance with the Department of Pension and Pensioners' Welfare OM No. 38/41/06-P&PW(A) dated 05.05.2009 and the entire accumulated pension corpus under NPS was transferred to the Government account, only the Government contribution with returns thereon in the accumulated pension corpus of the subscriber would be retained in Government account and remaining corpus would be paid back to the Government servant or nominee(s) or legal heir(s), as the case may be, as provided in the CCS (Implementation of NPS) Rules, 2021.

7. These orders shall take effect from 01.01.2004. The employee's contribution with returns thereon would be returned to the nominee(s) / legal heir(s) / Government servant, as the case may be, along with interest calculated for the period from the date of death / boarding out up to the date of payment of that amount, at rates and manner applicable to Public Provident Fund deposits from time to time.

8. In the cases related to Central Government employees covered under NPS, where Government servant or family members had been granted benefits under CCS(Pension) Rules, 1972 or CCS (EOP) Rules, 1939 in accordance with the Department of Pension and Pensioners' Welfare OM dated 05.05.2009 and has also been granted benefits from the accumulated pension corpus under NPS of the Government servant, the Government servant or the family member availing benefit of pension under pension rules **would require to refund** (in cases where NPS accumulations were not deposited into the Government account or not already refunded into Government account for availing benefit under pension rules) the Government contribution with return thereon in the accumulated pension corpus at the time of exit from NPS along with interest (upto the date of deposit in Government account) to be calculated at the same rate and manner as in the case of General Provident Fund applicable from time to time to continue to avail benefit under pension rules.

Contd.

9. The accounting procedure for refund of employee's share with return thereon along with up to date interest, as provided by Office of the Comptroller & Auditor General vide their ID note No. 648/91-GA/2014 dated 23.03.2023 and Controller General of Accounts vide their UO note No. TA-3-6/3/2020-TA-III/cs-4308/138 dated 31.03.2023 is attached at Annexure-A.

10. All Ministries / Departments are requested to bring the contents of these orders to the notice of Controller of Accounts/ Pay and Accounts Officers and Attached, Subordinate offices under them.

11. This issues in consultation with Ministry of Finance, Department of Expenditure vide their ID Note No. 1(15)/EV/2021 dated 17.01.2022 and in consultation with Controller General of Accounts vide their I.D. Note No. TA-3-6/3/2020-TA-III/cs-4308 dated 22.04.2022.

12. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Government of India

To,

1. All Central Government Ministries / Departments.
2. Department of Expenditure, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.
3. C&AG, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
4. Ministry of Railways, Railway Board, New Delhi.
5. Department of Financial Services, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi.
6. CGA, Department of Expenditure, INA, New Delhi.
7. NIC for posting on the website of this Department.

Annexure-A

Accounting procedure as referred to in para (9) of the OM No. 57/06/2021-P&PW(B) dated 03.10.2024

The accounting procedure will be followed only for refund of employees share with return thereon and up to date interest to the nominee / Government Servants who had availed benefit under CCS (Pension) Rules, 1972 or CCS (EOP) Rules, 1939 in term of DOP&PW OM No. 38/41/06-P&PW(A) dated 05.05.2009, in the event of death of discharge on their disablement or invalidation of Government Servant covered under National Pension System (NPS) prior to notification of CCS (Implementation of NPS) Rules, 2021. The procedure would be as under:

1. In respect of employee whose provisional pension or family pension was already being paid in terms of DOP&PW OM dated 05.05.2009, the entire amount of employee's contribution and employer contribution with return thereon, as received from PFRDA was credited to "MH-0071-Contributions and Recoveries Pension and other Retirement Benefits. 01-Civil, 101-Subscriptions and Contributions, 01- Accumulated Pension Wealth in respect of NPS subscribers".

2. The Head of the Office / DDO shall work out the bifurcation of amount (employee's Contribution and return thereon) in confirmation with the service record of the employee, the copy of challan indicating details of NPS accumulated credited into Government Accounts (i.e. under MH 0071-Contribution and Recoveries and other retirement benefits, 01-Civil, 101-Subscription and Contributions, 01-Accumulated Pension Wealth in respect of NPS Subscribers) and other details of employees viz. PRAN, Period of Contribution, date of invalidation or death of employee etc.

3. DDO shall ensure that details of NPS accumulations so suggested by him tallies with the details provided by NSDL or match with Government records prior to constitution of PFRDA. The amount also needs to be reconciled with the figures available with the PAO.

4. PAO will prepare a Transfer Entry and transfer the bifurcation amount of employee contribution and return on employee contribution from the head originally credited (i.e. MH 0071-Contribution and Recoveries and other retirement benefits) to "MH 8342- Other Deposit, 117- Defined Contribution Pension Scheme for Government".

5. The interest on bifurcation amount (i.e. employee's contributions and return on employee's contribution) till proposed date of payment of accumulated fund shall be calculated by the DDO of the employees concerned.

6. The calculation of interest will be verified by the PAO concerned in the form of an authority.

Contd..

7. The PAO will make necessary accounting entry of interest amount by debiting the head "MH-2049-Interest payment, 60-Interest on other obligations, 101-Interest on Deposits, 29-Interest on defined Contribution Pension Scheme. 01-Interest on Contribution under Tier-1" and crediting the "MH 8342-Other Deposits, 117- Defined Contribution Pension Scheme for Government, 01- Government Servant Contribution under Tier-1".

8. After calculating the interest and got verified from PAO, the DDO shall prepare and prefer the bill of total amount to PAO clearly mentioning the employees details viz. PRAN and bifurcation amount interest amount etc.

9. The PAO shall confirm the bill amount on the basis of record available with them.

10. The PAO shall make payment of bill by debiting the head "8342-Other Deposit, 117-Defined Contribution Pension Scheme for Government, 01-Government Servant Contribution under Tier-1".

11. The PAO will also make necessary entry in service record of the concerned NPS employee.

***

सं. 57/03/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)/8361(7)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट

नई दिल्ली, दिनांक :25 अक्तूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : अर्हक सेवा का आवधिक सत्यापन और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव स्तर पर मॉनिटरिंग।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 30 के उपनियम(1) के अनुसार सरकारी कर्मचारी द्वारा सेवा के अठारह वर्ष पूरे करने पर और अधिवर्षिता की तारीख से पूर्व पांच वर्ष की सेवा बाकी रहने पर, कार्यालयाध्यक्ष, लेखा अधिकारी से परामर्श करके तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार, ऐसे सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई सेवा का सत्यापन करेगा, अर्हक सेवा का अवधारण करेगा और इस प्रकार अवधारित सेवा की अर्हक अवधि को फॉर्मेट-4 में उसे संसूचित करेगा।

2. इस नियम में आगे उपबंधित है कि ऐसे सरकारी कर्मचारियों के ब्यौरे, जिन्हें उपनियम(1) के अधीन विगत कैलेंडर वर्ष के दौरान अर्हक सेवा का प्रमाणपत्र जारी किया जाना अपेक्षित था, ऐसे सरकारी कर्मचारियों के ब्यौरे, जिन्हें उक्त अवधि के दौरान वस्तुतः उक्त प्रमाणपत्र जारी किया गया, और शेष मामलों में उक्त प्रमाणपत्र जारी नहीं करने के कारणों को दर्शाने वाली एक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष की 31 जनवरी तक प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग के सचिव को, सौंपी जाएगी।

3. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बाबत केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उपदान का संदाय) नियमावली, 2021 के नियम 21 में अर्हक सेवा के सत्यापन के समान उपबंध किए गए हैं।

4. यद्यपि इन सांविधिक उपबंधों को मंत्रालयों/विभागों को बार-बार संसूचित किया जा रहा है, फिर भी यह देखा गया है कि उपरोक्त नियमों के अधीन अपेक्षित अर्हक सेवा के बारे में सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सूचित नहीं किया जाता है।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से पुन: अनुरोध है कि इन उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें कार्यालय अध्यक्षों के संज्ञान में लाएं।

(एस. चक्रवर्ती)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन

(मानक सूची के अनुसार)

No. - 57/03/2022-P&PW(B)/8361(7)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 25th October, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Periodic verification of qualifying service and monitoring at the level of Secretary of the administrative Ministry/Department.

The undersigned is directed to say that Sub-rule (1) of Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, provides that on a Government servant completed eighteen years of service and on his being left with five years of service before the date of superannuation, the Head of Office in consultation with Accounts Officer, shall, in accordance with the rules for the time being in force, verify the service rendered by such a Government servant, determine the qualifying service and communicate to him, in Format 4, the period of qualifying service so determined.

2. The rule further provides that a report shall be submitted to the Secretary of the Administrative Ministry/Department by 31st January of each year, giving the details of the Government servants who were required to be issued a certificate of qualifying service during the previous calendar year under sub-rule (1), the details of the Government servants who have actually been issued the said certificate during the said period and the reasons for not issuing the said certificate in the remaining cases.

3. Similar provisions of verification of qualifying service have been made in rule 21 of the CCS (Payment of Gratuity under NPS) Rules, 2021 in respect to Central Government employees covered under the National Pension System.

4. Even though these statutory provisions are being repeatedly communicated to Ministries / Departments, it is noticed that the qualifying service is not invariably communicated to the Government servant required under the above rules.

5. All Ministries/Departments are, therefore, again requested to bring these provisions to the notice of Head of Offices for strict compliance.

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Govt. of India

To
All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)